

यूनियन कार्बाइड प्लांट में भीषण आग

स्रोत: डाउन टू अर्थ

हाल ही में **भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने** में भीषण आग लग गई। यह वही कारखाना है जिसे **वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी** के बाद बंद कर दिया गया था।

- आग की इस घटना के बाद एक बार फिर लोगों में इस बात को लेकर भय व्याप्त है कि इससे निकलने वाला धुआँ उनके शरीर पर क्या प्रभाव डालेगा।
- **भोपाल गैस त्रासदी** इतिहास में सबसे गंभीर औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक थी जो **2-3 दिसंबर, 1984** की रात भोपाल, मध्य प्रदेश में **यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (Union Carbide India Limited- UCIL)** कीटनाशक संयंत्र में हुई थी।
- इसने लोगों और पशुओं को अत्यधिक ज़हरीली गैस **मथिल आइसोसाइनेट (Methyl Isocyanate- MIC)** के संपर्क में ला दिया जिससे तत्काल मौतें तथा दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव देखे गए।
- गैस रिसाव का सटीक कारण अभी भी कॉर्पोरेट की लापरवाही या कर्मचारियों की अनदेखी के बीच विवादित बना हुआ है।
- परिणामस्वरूप भारत में आपदा एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनेक कानून पारित किये गए।
 - **भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों का परसंस्करण) अधिनियम, 1985**
 - **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986**
 - **सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991**
 - **परमाणु कर्षता के लिये नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010**

और पढ़ें: [भोपाल गैस त्रासदी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव](#)